रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 1975/आषाढ़ 10, 1897
No. 228] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 1975/ASADHA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 1st July, 1975

S.O. No. 295(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 1975.

2. In sub-rule (2) of rule 67 of the Income-tax Rules, 1962,—

(*a*) in clause (i), for the figures and words "45 per cent.", the figures and words "25 per cent." shall be substituted;

(*b*) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:—

"(v) In the Special Deposit Scheme introduced by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F.16 (1)-PD/75 dated the 30th June, 1975.	Not exceeding 20 per cent. of the investible moneys".

[948/F. No. 142(24)/75-TPL]

O. P. BHARDWAJ, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 295(ई).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम आय-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1975 है।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 के उप-नियम (2) में,—

(क) खण्ड (i) में, "45 प्रतिशत" अंकों और शब्दों के स्थान पर "25 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(v) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ० 16(1)–पी० डी०/75 तारीख 30 जून, 1975 द्वारा लागू की गई विशेष निक्षेप स्कीम में	विनिधान योग्य राशि का 20 प्रतिशत से अनधिक"।

[सं० 948/फा० सं० 142(24)/75–टी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975